

इलाहाबाद के समीप स्लीपर कारखाना

4679. श्री शिव नारायण तरसूनिया :
क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद नगर के पास स्थित सूबेदार गांव में स्लीपर कारखाने में अब तक डाली गई ईंटों, बने हुए भवन वहाँ पहुँचाई गई रेलवे लाइन आदि पर सरकार का लाखों रुपया खर्च नहीं हो गया है ;

(ख) क्या इस कारखाने में हो रहे निर्माण कार्य को इसलिए रोक दिया गया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को जो अभी तक रेलवे को पटरियों सप्लाई करके मनमाना धन नेता रहा है घाटा हो रहा है ; और

(ग) क्या जिन अधिकारियों ने गैर-सरकारी क्षेत्र से मिलकर उक्त निर्माण-कार्य को रूकवा दिया है उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री शिव नारायण) : (क) अभी तक इस परियोजना पर अनुमानतः कुल 18.38 लाख रुपए खर्च किये गये हैं ।

(ख) और (ग) जी नहीं ।

Declaration from Judges on Observance of Prohibition

4680. SHRI OM PRAKASH TYAGI:

DR. V. A. SEYID
MUHAMMED:

SHRI ANNASAHEB P.
SHINDE:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the President of the All India Prohibition Council has obtained an assurance from the Law Minister that he would take a declaration from judges to be appointed henceforth that they would not touch liquor;

(b) what action will be taken if the declaration is violated;

(c) whether this provision will be incorporated in the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954, if not the reasons thereof; and

(d) the circumstances which impelled the President of the Prohibition Council to obtain the assurance from the Law Minister?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) No Sir. However, the Chief Justice of India is being consulted in regard to a proposal that in the case of fresh appointments to the Higher Judiciary, a declaration or undertaking should be obtained from the person proposed to be appointed that he does not take intoxicating drinks or will not take them during his tenure as a Judge (as the case may be). No final decision has been taken in the matter.

(b) to (d). Question does not arise.

इलाहाबाद डिवीजन में दुर्घटनाएं

4681. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :
क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर और नवम्बर 1977 के बीच उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में ग्यारह गम्भीर दुर्घटनाएं हुईं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये सभी दुर्घटनाएं अधिकारियों के कुप्रबन्ध अनुभव-हीनता और गैर-जिम्मेदारी के कारण हुईं ; और